डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

मि0न0 – 76 / 2025

अनवान : –

1 रजाक मोहम्मद पुत्र सफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी। **वादी**

बनाम

1. ईशहाक मोहम्मद पुत्र सफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
2. कुरैशा पत्नी ईशहाक मोहम्मद पुत्र सफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
3. शाहीद खान पुत्र ईशहाक मोहम्मद नाबालिग उम्र 8 वर्ष जरिये कुदरती वली माता कुरैशा पत्नी ईशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
4. वाहिन खान पुत्र ईशहाक मोहम्मद नाबालिग उम्र 8 वर्ष जरिये कुदरती वली माता कुरैशा पत्नी ईशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
5. हिना पुत्री ईशहाक मोहम्मद नाबालिग उम्र 8 वर्ष जरिये कुदरती वली माता कुरैशा पत्नी ईशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व वकील प्रतिवादीगण श्री जेपी शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 एनजीसी के खाता सं0 136 / 136 की कुल 3.289है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 3035 / 6578 हिस्सा अर्थात् 1.5175 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ईशहाक मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर